

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 30वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 23.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्रांक/यूआईटी आबू/लेखा/निविदा /2023/35 दिनांक 23.05.2024 के तहत सांतपुर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाने हेतु ई निविदा सूचना संख्या 03/2023-24 जारी की गई थी, उसकी प्रमाणित प्रति एवं निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत टेण्डर किस फर्म के नाम से पारित हुआ, उसका नाम एवं उसको दिए गए वर्क ऑर्डर की प्रति एवं तालाब की भूमि का सीमाकन करवाने हेतु तहसीलदार आबूरोड को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं टेण्डर फर्म द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा टेण्डर फर्म को जारी पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 23.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्रांक/यूआईटी आबू/लेखा/निविदा/2023/35 दिनांक 23.05.2024 के तहत सांतपुर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाने हेतु ई निविदा सूचना संख्या 03/2023-24 जारी की गई थी, उसकी प्रमाणित प्रति एवं निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत टेण्डर किस फर्म के नाम से पारित हुआ, उसका नाम एवं उसको दिए गए वर्क ऑर्डर की प्रति एवं तालाब की भूमि का सीमाकन करवाने हेतु तहसीलदार आबूरोड को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं टेण्डर फर्म द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा टेण्डर फर्म को जारी पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही